<u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी <u>जिला</u>—अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण क.—535 / 11</u> <u>संस्थापित दिनांक—08.12.2011</u> Filling number 235103002602011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1- वीरेन्द्र पुत्र रामचरण ढीमर उम्र 29 साल
- 2— रूपाबाई पत्नी वीरेन्द्र ढीमर उम्र 26 साल
- 3- रामदेवी पत्नी नारायण ढीमर उम्र 30 साल
- 4— रामलीला बाई पित रामचरण उम्र 60 साल निवासीगण— ग्राम लिधौरा तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 23.03.2017 को घोषित)

- 01— आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323/34, 324/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 05.11.2011 को समय 20:00 बजे ग्राम मुरादपुर में आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया पुष्पाबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादिया की पुत्री पूनम को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादिया, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 21.02.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण वीरेन्द्र, रूपाबाई, रामदेवी, रामकली, को भा.द.वि की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया पुष्पाबाई ने अपनी लड़की पूनम के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.11.2011 को शाम को रूपा, वीरन ढीमर, आंगन में उनकी तरफ दीवाल बना रहे थे, जब उसने कहा कि उनकी तरफ दीवाल क्यों बना रहे हो तो दोनो के बीच से बनाओ, इसी बात पर वीरेन्द्र, रूपा, रामकली, रामदेवी गाली देने लगे चारो ने उसकी लात घुसो डण्डा से मारपीट की, रूपाबाई की लड़की पूनम को सिर में डण्डा मार दिया खून निकल आया। पीठ में भी डण्डा मारा, मौके पर मनीष था जिसने घटना देखी है। पुलिस ने

//2//दाण्डिक प्रकरण कमांक—535/11 Filling number 235103002602011

अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 05.11.2011 को समय 20:00 बजे ग्राम मुरादपुर में आपने फरियादिया की पुत्री पूनम को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

- 06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी पुष्पाबाई अ०सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से 4 साल पहले की होकर शाम को लगभग 8—9 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने घर के सामने आंगन में दीवार बना रही थी और दीवार बनाने हेतु पत्थर उलवाये थे किन्तु आरोपीगण ने उन्हें दीवार नहीं बनाने दी और जिस पत्थर से दीवार बनाई जा रही थी उसी पत्थरों से आरोपीगण उन्हें मारने लगे और आरोपीगण द्वारा लडकी पूनम मुझे व पित की मारपीट करने लगे और लडकी पूनम को रूपाबाई ने डण्डे से मारा था। घटना स्थल पर उनके परिवार का मनीष मौजूद था जिसने उन्हें बचाया था।
- 07— पुष्पाबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाने में लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। प्र.पी.2 के नक्शामौका उसके सामने बनाया था जिसपर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने व्यक्त किया कि उसे याद नहीं है कि उसकी चोटो का इलाज हुआ था या नहीं स्वतः कहा पूनम की चोटो का इलाज हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपीगण ने उसे पत्थरों से मारा था पर अंधेरे में पता नहीं चला कि

//3//दाण्डिक प्रकरण कमांक—535/11 Filling number 235103002602011

किसने पत्थर मारा था क्योंकि घटना के समय लाईट नहीं थी इसलिये देख नहीं सकी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में व्यक्त किया कि उसकी लड़की पूनम के सिर में 7 टांके आए थे। पूनम को किसने किस वस्तु से मारा था अंधेरे की वजह से वह देख नहीं पाई। परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पूनम अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उसका दीवार के उपर से विवाद हो गया था और आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

- 08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी पूनम से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसकी मां के साथ भी वाद विवाद हुआ था और उसने मां का वीच बचाव किया था और अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि रूपाबाई ने उसके सिर में बीच बचाव के समय डण्डा मारा था जिससे उसे खून निकल आया था तथा इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी रूपाबाई ने उसे पीठ में डण्डा मारा था। उक्त साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग (तात्विक भाग) पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया तथा इस बात को स्वीकार किया कि घटना के समय उसका रिश्तेदार मनीष घटना स्थल पर मौजूद था। इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसका एवं उसकी मां पुष्पाबाई का राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।
- 09— मनीष कुमार अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि दीवार के उपर से पुष्पाबाई एवं पूनम की आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था और इसके अलावा और कोई घटना उसके सामने नहीं हुई थी तथा उक्त साक्षी ने भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि आरोपी रूपा बाई ने पूनम के सिर में बीच बचाव के समय सिर एवं पीठ में डण्डा मारा था।
- 10— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी पुष्पाबाई अ0सा01, आहत पूनम अ0सा02 एवं चक्षदर्शी साक्षी मनीष आ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनो में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण द्वारा आहत पूनम को धारदार वस्तु से चोट पहूँचाकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की, क्योंकि स्वयं आहत पूनम ने उसके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि आरोपीगण से उसका एवं उसकी मां पुष्पाबाई का दीवार बनाने को लेकर वाद विवाद हो गया था, इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की।
- 11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि

//**4**// दाण्डिक प्रकरण कमांक—**535**/**11** Filling number 235103002602011

अभियुक्तगण ने दिनांक 05.11.2011 को समय 20:00 बजे ग्राम मुरादपुर में आपने फरियादिया की पुत्री पूनम को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण वीरेन्द्र, रूपाबाई, रामदेवी, रामकली थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 12— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 13- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 14- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0